


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1181)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 171 दिनांक 15.02.2017 द्वारा श्रीमती केसन्ता बाई, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), उप स्वास्थ्य केन्द्र घाटला, खण्ड मालाखेडा, जिला अलवर को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 29.05.2019 से 29.11.2019 तक 185 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1181)/2018/1695
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 31/8/18

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालाखेडा (अलवर)।
3. प्रधानाचार्य, हैल्थ एण्ड हाईजिन नर्सिंग एंज्यूकेशन इंस्टीट्यूट, तिजारा रोड, अलवर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर